# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या 657/2023**

राजेश बालोदा —अपीलार्थी

बनाम

1. मुख्य शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलक्टर (भू–अभिलेख) झुन्झुनूं।
3. प्रबंधक, राजस्व विभाग, अजमेर।
4. श्री अमिलाल, (भू–अभिलेख निरीक्षक) झुंझुनूं।

—प्रत्यर्थीगण

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 23.01.2023
**आदेश की दिनांक** : 06.02.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजपाल धनखड, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है अपीलार्थी वर्तमान में भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर वृत, झुंझुनू तहसील झुन्झुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय, नवलगढ, झुंझुनूं किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 का स्थानान्तरण भू–अभिलेख निरीक्षक वृत कुलोद कलां से अपीलार्थी के स्थान पर किया है। इससे पूर्व आदेश दिनांक 13.10.2022 (अनुलग्नक–4) के द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ से ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय, मण्डावा किया गया, तत्पश्चात आदेश दिनांक 30.10.2022 द्वारा अपीलार्थी का ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय, मण्डावा स्थानान्तरणाधीन से भू–अभिलेख निरीक्षक वृत, झुंझुनू तहसील झुन्झुनूं किया गया। पुनः प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.11.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत, झुंझुनू तहसील झुन्झुनूं से ऑफिस कानूनगो तहसील कार्यालय, चिडावा किया गया जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 944/2022

दायर की गई जिसमें पारित आदेश दिनांक 16.11.2022 (अनुलग्नक–5) द्वारा स्थगन प्रदान किया गया तथा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 6095/2022 राजेश अहलूवालिया बनाम राजस्थान राज्य एवं 5958/2022 (944/2022) राजेश बलोदा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 09.01.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी राजेश बलोदा व राजेश अहलूवालिया के संबंध में प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार एक माह की अवधि में नये सिरे से पदस्थापन आदेश पारित करें। आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 द्वारा अपीलार्थी का तीन माह की अल्पावधि में चार बार स्थानान्तरण बिना प्रशासनिक आवश्यकता के किए गए हैं अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश दिनांक 05.05.1989 तथा 30.10.1993 (अनुलग्नक–2) के द्वारा निर्देश जारी किए की भू–अभिलेख निरीक्षक के एक तहसील से दूसरी तहसील में अथवा एक हल्के से दूसरे हल्के में दो वर्ष पूर्व स्थानान्तरण नहीं किए जावें एवं दो वर्ष पूर्व स्थानान्तरण करना आवश्यक हो तो पूर्ण औचित्य बतलाते हुए संभागीय आयुक्त से अनुमति प्राप्त कर स्थानान्तरण किये जावें।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 की पालना में निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 ने दिनांक 20.01.2023 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है (आर4/1)। इस प्रकार स्थानान्तरण आदेश की पालना हो चुकी है तथा आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 5958/2022 (944/2022) राजेश बलोदा बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 09.01.2023 (अनुलग्नक–आर–4/2) की अनुपालना में जारी किए गए हैं। अपीलार्थी के विरूद्ध महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा दिनांक 03.09.2021 द्वारा शिकायत की गई है (अनुलग्नक–4/3)। इस प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी एवं श्री राजेश अहलूवालिया का स्थानान्तरण तहसील झुंझुनू से बाहर कर दिया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाए।

हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अनुशीलन कर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि अधिकरण में दायर अपील संख्या 6095/2022 राजेश अहलूवालिया बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य तथा 5958/2022 (944/2022) राजेश बलोदा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में आदेश दिनांक 09.01.2023 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को आदेशित किया गया है कि अपीलार्थी राजेश बलोदा एवं राजेश अहलूवालिया के संबंध में प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार एक माह की अवधि में नये सिरे से पदस्थापन आदेश पारित करें। आलोच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) अधिकरण के उक्त आदेश के पश्चात् प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है।

यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि अपने कर्मचारियों की सेवा किस स्थान पर ले। आलोच्य आदेश में कोई दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। माननीय उच्चतम

न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है

आदेश आज दिनांक 06.02.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**